उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्या–861/1–10–2015–33(221)/2011
लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (आपदा प्रबन्ध प्रभाग) के पत्र संख्या–33–15/2015–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 17.08.2015 द्वारा क्षमता संबर्द्धन कार्यक्रम के संचालन हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी के पत्र संख्या–1786, दिनांक 30.03.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु **रू0 17,00,000/–**(शोध अधिकारी एवं प्रशिक्षण सहायक कम डाटा इंट्री आपरेटर के पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते हेतु रू0 1.50 लाख तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 15.50 लाख) और दी0द0 उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ के पत्र संख्या–1737/64/आ0प्र0प्रशि0/2015–16, दिनांक 10.07.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु **रू0 72,54,000/–** (2 टी0ओ0टी0 के आयोजन हेतु रू0 4.50 लाख, प्रत्येक जनपद में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के लिए अर्थात् कुल 75 कार्यक्रम संचालित किये जाने के लिये रू0 78,000/– की दर से कुल रू0 58,50,000/– , प्रशासनिक व्यय हेतु 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 6.30 लाख और संस्थान के आपदा प्रबन्धन सेल के व्यय हेतु रू0 3.24 लाख) अर्थात् **कुल रू0 89,54,000/– (रूपये नवासी लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि** राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये उक्त धनराशि दोनों संस्थाओं के महानिदेशक के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार की जायेगी।

3– भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये मार्ग–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– धनराशि का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

5– यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2016 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या व दिनांक त व

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— महानिदेशक उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, सेक्टर—डी, अलीगंज, लखनऊ।

3— महानिदेशक दी0द0 उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।

5— निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।

7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8— वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—1/2, वित्त (व्यय—नियंत्रण)अनुभाग—5/राजस्व अनुभाग—6/11

9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।